न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33/14	24.02.2014	17.12.2019

1. रहमत पुत्र श्री समयसिंह
2. रहमत पुत्र श्री समयसिंह जाति मेंव निवासी ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादीगण

:–बनाम:–

1.इब्राहिम पुत्र समयसिंह
2. आशीन पुत्र समयसिंह
3. रूजदार पुत्र समयसिंह
4. हमीदखा पुत्र समयसिंह
5. रहमती पुत्री समयसिंह
6. रहीमी पत्नी समयसिंह जाति मेवान निवासीयान ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाईदवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री रामफल यादव अभिभाषक वादी
2. श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक प्रतिवादीगण

वादी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर एक वाद तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख0 नम्बरान 54/0.3600, 61/0.2500, 232/0.8600, 510/199/08.3100 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.7800 हैक्टयर वाके ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम में विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजीयात मिन वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर सामलात में ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात में मिन वादीगण का 2/9 हिस्सा है। जिस पर मिन वादीगण प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 के साथ सामलात में ही काबिज़ व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है जो अबट आराजीयात है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 आये रोज मिन वादीगण के सामलाती 2/9 हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते है। फसल बोने, दरो करने में रूकावट पैदाकरते रहते है व विवादित आराजीयात को बिना बटाये ही दीगर लोगो को बेचान करने की धमकिया देते है व मिन वादीगण के हिस्से पर अपना जब्रन कब्जा करना चाहते है। इसलिए मिन वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के साथ सामलात में कातश करना नामुमकिन हो गया है। इसलिए मिनवादी अपने हिस्से 2/9 भाग का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कराने के अधिकारी है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री कृष्ण कुमार यादव ऐडवोकेट ने वकालतनामा पेशकिया। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि पक्षकारान का आपसी विवाद है जिसमें राज्य सरकार का कोई हित निहित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब दावा पेश नही किया गया। पत्रावली कैम्प कोर्ट बघेरी खुर्द दिनांक 24.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई और तहसीलदार कोटकासिम को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर भिजवाये जाने के लिए आदेशित किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश किया।

बहस विद्वांन अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार कोटकासिम द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की ओर कहां की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को डिक्री फरमाया जावे।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कोटकासिम द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर गौर किया गया। विद्वांन अधिवक्ताओं का कहना है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को डिक्री फरमाया जावे। इसलिए वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव फाईनल डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0नं0 54/1/0.08, 61/1/0.0555, 232/1/0.19, 510/199/1/0.07 किता 4 रकबा 0.3955 हैक्टयर वाके ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम में रहमत, रहमान पिसरान समय सिंह कौम मेव साकिन देह खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार आराजी ख0नं0 54/2/0.28, 61/2/0.1945, 232/2/0.67, 510/199/2/0.24 हैक्टयर किता 4 कुल रकबा 1.3845 हैक्टयर वाके ग्राम दौलत नगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर में इब्राहिम, आसीन,

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रूद्दार, हमीद पुत्रांन सयमसिंह , रहमती, बकसर पुत्रीयान समय सिंह, रहीमी पत्नी समय सिंह कौम मेंव सा0 देह खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-12-2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

धीरेन्द्र सिंह (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33/14	24.02.2014	17.12.19

1. रहमत पुत्र श्री समयसिंह
2. रहमत पुत्र श्री समयसिंह जाति मेंव निवासी ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादीगण

:–बनाम:–

1. इब्राहिम पुत्र समयसिंह
2. आशीन पुत्र समयसिंह
3. रूजदार पुत्र समयसिंह
4. हमीदखा पुत्र समयसिंह
5. रहमती पुत्री समयसिंह
6. रहीमी पत्नी समयसिंह जाति मेवान निवासीयान ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाईदवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री रामफल यादव अभिभाषक वादी
2. श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक प्रतिवादीगण

अतः वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0नं0 54/1/0.08, 61/1/0.0555, 232/1/0.19, 510/199/1/0.07 किता 4 रकबा 0.3955 हैक्टयर वाके ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम में रहमत, रहमान पिसरान समय सिंह कौम मेव साकिन देह खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार आराजी ख0नं0 54/2/0.28, 61/2/0.1945, 232/2/0.67,

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

510/199/2/0.24 हैक्टयर किता 4 कुल रकबा 1.3845 हैक्टयर वाके ग्राम दौलत नगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर में इब्राहिम, आसीन, रूद्दार, हमीद पुत्रांन सयमसिंह , रहमती, बकसर पुत्रीयान समय सिंह, रहीमी पत्नी समय सिंह कौम मेंव सा0 देह खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

धीरेन्द्र सिंह (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES रु.50

भारत INDIA 100 रुपये RUPEES ONE HUNDRED SPECIAL ADHESIVE

भारत INDIA 100 रुपये RUPEES ONE HUNDRED SPECIAL ADHESIVE

भारत INDIA 100 रुपये RUPEES ONE HUNDRED SPECIAL ADHESIVE

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AK 142144

वाद सं. 33/14
अनुराग रहमान बनाम इब्राहिम
में वाद पूर्ण आदेश किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

17/12/19 अनुसार आदेश/वादी का [illegible] किया जाता है कि निर्णय पुस्तक में अंकित किया जाकर [illegible] कार्यवाही [illegible] किया जाए।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
करने के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
हो।